संख्या-02/2018/2591/पन्चानबे-17-6 बजट/17

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2017/494/पन्चानबे-17-8 बजट/16 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या-19/2017/1367/पन्चानबे-17-8 बजट/16 दिनांक 14.08.2017 के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित बजट के सापेक्ष रूपये 1,01,04,39,000/- (रूपये एक अरब एक करोड़ चार लाख उन्तालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| | |
|---|---|
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें | |
| 107-होमगार्डस | |
| 03-सामान्य अधिष्ठान | |
| 02-मजदूरी | 9200.00 लाख |
| 06-विधान सभा निर्वाचन | |
| 02-मजदूरी | 800.00 लाख |
| **योग-** | **1000.00 लाख** |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | |
| 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम | |
| 200-अन्य कार्यक्रम | |
| 03-ड्यूटीरत होमगार्डस स्वयंसेवकों के बीमा हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम की अदायगी | |
| 42-अन्य व्यय | 104.39 लाख |
| **कुल योग-** | **10104.39 लाख** |

(रूपये एक अरब एक करोड चार लाख उन्तालिस हजार मात्र)

...........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों, नवीनतम शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004 मित0-1/2004, दिनांक 07 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009 मित0-1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सकें।

2. बजट में प्राप्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन में सुनिश्चित किया जाय।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थित हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय का कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। महासमादेष्ट होमगार्डस यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था की जायेगी तथा शासन को बराबर इससे अवगत कराया जायेगा। यदि किसी विनियोग को प्राथमत इाकई के अधीन अनुपातक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

6. कृपया प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

8. इस सम्बन्ध में स्वीकृत धनराशि के आवंटन/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चत किया जाय।

......3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017] 20.03.2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27.12.2017 में निहित निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव ।

संख्या-02/2018/2591(1)/पन्चानबे-2018-तददिनांक।

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
9. बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
उप सचिव ।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।